अनुसूची-१४ -फारम सं0 ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0- 43/2011

मनोज नट

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
.08.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 18 मु0, दिनांक 10.02.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 21.01.2011 को पूर्वाहन 09:45 बजे मनोज नट, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0-117/2007,सा0-पकहा, पंचायत-नगर पंचायत, थाना-मढौरा, प्रखंड-मढौरा की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (श्री अरविन्द कुमार सिंह,अंचल अधिकारी,मढौरा,सारण/ श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा प्रखंड विकास पदाधिकारी,मढौरा/ श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई- (1) दूकान बंद पाई गई। (2) विक्रेता अनुपस्थित थे। (3) दूकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था। (4) विक्रेता की पत्नी के द्वारा दूकान खोलकर दिखाया गया। इनके दूकान में 35 बोरा गेहूँ पाया गया। (5) विक्रेता से सम्बद्ध उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि प्रति माह दो लीटर किरासन तेल 14 रू0 प्रति लीटर की दर से दिया जाता है। इस प्रकार इनके द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में किरासन तेल दिया जाता है तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल की जाती है।	

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 375, दिनांक 22.01.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विक्रेता किरासन तेल थोक विक्रेता के यहां किरासन तेल उठाव के संबध में पता करने के लिए चला गया था, जिस कारण दूकान बंद थी। सूचना पट्ट का संधारण विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। जांच के समय भंडार में 35 बोरा पाया गया गेहूँ माह दिसंबर 10 के अन्तयोदय एवं बी0पी0एल0 लाभार्थियों का था, जिसका वितरण चावल की आपूर्ति नहीं होने के कारण नहीं हो सका था। उक्त दोनों मद का कुल 17 क्विंटल 54 किलों गेहूँ का उठाव किया गया था जो 35 बोरों में भण्डार में उपलब्ध था। जांच के समय कतिपय उपभोक्ताओं की शिकायत कि उन्हें 14 रू0 लीटर की दर से हर माह दो लीटर किरासन तेल मिलता है सही नही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा जानबुझ कर इस तरह का झूठा एवं मनगढंत बयान दिलवाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल आचरण करते हुए गंभीर अनियमितताएं बरती गई है, जिसके लिए अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विक्रेता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छा के प्रसंग में दिए गए जवाब एवं कागजातों में कई गंभीर अनियमितताएं दृष्टिगोचर हो रही है। बिहार राज्य कूपन योजना 2006 के आलोक में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये गये कूपन का क्रम संख्या संपूर्ण वर्ष में एक ही होता है। वितरण पंजी के परिसीलन से ज्ञात होता है कि माह अक्टूबर एवं माह दिसंबर में एक ही उपभोक्ता के नाम के आगे कूपन क्रमांक में अंतर है। ऐसा सात उपभोक्ताओं (टुनमुन नट, भोना नट, कृष्णा नट, मोहन नट, सचिदानंद

सिंह, राजमति देवी एवं मंजूर अहमद) के नाम के आगे अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वितरण पंजी फर्जी है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ कैश मेमो एवं उपभोक्ता पंजी जमा नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा उपभोक्ताओं को कैशमेमो नहीं दिया जाता है, जो एक गंभीर अनियमितता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त मामले में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए एक मुखर आदेश पारित किया गया है, जिसमें मैं किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन दिनांक 24.03.2011 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 29/-या०/मुल्य दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- श्री मोहम्मद खालिद विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 ई०सी० सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन०आई०सी० सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेत प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/8/15